eISSN 3049-2610

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

विकसित भारत 2047 का स्वप्न : ''देश को बदलने की पहल में श्रमिक महिलाओं का संघर्ष'

डॉ० स्वर्ण लता कदम[1]

[1]प्रोफेसर –हिन्दी विभाग, शहीद मंगल पाण्डे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ

Received: 20 March 2026 Accepted & Reviewed: 25 March 2026, Published: 31 March 2026

Abstract

विकसित भारत 2047'' का स्वप्न केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और श्रम सम्मान पर भी आधारित है। इस परिप्रेक्ष्य में श्रमिक महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य देश के विकास में श्रमिक महिलाओं के योगदान, उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा उनके संघर्ष की प्रकृति का विश्लेषण करना है। भारत में श्रमिक महिलाएं असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, जहां उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है।यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिक महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उनके संघर्ष को पहचानना और उन्हें नीति–निर्माण में उचित स्थान देना ही समावेशी और सतत विकास की कुंजी है।

कुंजी शब्द– विकसित भारत 2047, श्रमिक महिलाए, महिला सशक्तिकरण, असंगठित क्षेत्र, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता

Introduction

''मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को,
युग–युग की निर्मम कारा से, जननि सखि प्यारी को।''

ईश्वर की महान रचना, प्रेम, त्याग बलिदान से परिपूर्ण सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति है नारी, एक शक्ति एक करूणा जो सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज तक सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में अपना योगदान देती आई है। इतिहास में पुराने पन्नों को यदि उलट कर देखा जाये तो कहीं भी ऐसा स्थान न होगा, जहाँ नारी ने अपना सहयोग पुरुषों और संसार को न दिया हो। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। स्त्रियों को शिक्षा के लिये बाहर भेजा जाने लगा। स्त्रियाँ रोजगार में भी आने लगी लेकिन कुछ गिने–चुने रोजगारों में ही महिलाओं को लिया जाता। जैसे शिक्षक के पद के लिए, इस प्रकार थोड़ा–थोड़ा महिलाओं की स्थिति में सुधार होना आरम्भ हुआ। काम तो महिलाएँ आदि काल से करती आई हैं। गृहस्थी के सारे काम महिलाएँ ही करती है। यहाँ काम से अर्थ आर्थिक क्रियाएं हैं। यहाँ महिलाएँ घर के अंदर और बाहर की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। श्रमिक महिलाएँ भी कामकाजी महिलाएँ है। ये आर्थिक व्यवस्था की केन्द्र बिन्दु तो है, लेकिन इनकी स्थिति क्या है? इनका भविष्य कैसा होगा इनका वर्तमान कैसा है? जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि ''स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक ठाक मापा जा सकता है।

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2026

eISSN 3049-2610
Research Stream
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 03, Issue 01, March 2026

घरों के अंदर काम करने वाली महिलाओं की स्थिति– हमारे देश में हजारों स्त्रियाँ घर के अंदर रह कर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। इससे पैदा किया हुआ धन ही उनकी रोजी रोटी का आधार है घर के अंदर भी इन्हें 8–10 घण्टे काम करना पड़ता है। आर्थिक अभावों के कारण काम करना इनकी विवशता होती है।

1. घरों में रहकर सिलाई, कढ़ाई, छपाई कपड़े सीने वाली महिलाएँ।
2. साड़ियों, लहंगों पर छपाई, रंगाई का काम करने वाली महिलाएँ।
3. जरी, मीनकारी अथवा हाथ से कढ़ाई करने वाली महिलाएँ।
4. हथकरघा पर काम करने वाली महिलाएँ।
5. हस्त–शिल्प के अन्य कामों में लगी महिलाएँ।
6. मोती की मालाओं में लगने वाले स्लिप जोड़ना, बालों में लगाने वाले बैंड, रीले बनाना (धागे वाली)।
7. रेडियों, ट्रांजिस्टर के पुर्जे आदि जोड़ना आज अनेक काम घर में ही महिलाओं के पास है।
8. चूड़ियां लाख का सामान, पैकिंग का सामान बनाने वाली महिलाएँ।

घरों के अंदर काम करने वाली महिलाओं से आशय उन महिलाओं से है जो घर में रहकर ही अपनी सुविधा से काम करती है। इस वर्ग की महिलाओं को संबंधित कारखानों, संस्थानों के मालिक उन्हें कच्चा माल नाप–तौल कर दे देते हैं, जिन से ये महिलाएँ मापदंडों के अनुसार पक्का माल तैयार करके दे आती है। उन्हें अपने इस कार्य के बदले निर्धारित मजदूरी मिलती है। दूसरी ओर उत्पादकों को इन श्रमिकों से हड़ताल, तालाबंदी, कुट्टी एडवांस आदि का कोई खतरा नहीं रहता। ये अपनी सुविधा से दिन–रात में काम कर अपने समय का सदुपयोग कर लेती हैं। लखनऊ, जयपुर वाराणसी, चंदेरी, कांजीपुरम, फिरोजाबाद, सतना, सागर आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की हजारों महिलाएँ हैं जो घरों में रहकर काम करती हैं। इस वर्ग की महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। इनकों अपने परिश्रम का भी पूरा–पूरा लाभ नहीं मिलता। इनमें मोल भाव की क्षमता नहीं होती। एक प्रकार से इन्हें बंधुआ मजदूरों जैसा काम करना पड़ता है। इनकी धारणा होती है 'ठाली से बेगार भली।' ये अधिक पढ़ी लिखी, शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होती। केवल घर का अनुभव ही इन्हें इस प्रकार के काम योग्य बना देता है। ये केवल परंपरागत कार्य ही कर सकती हैं। यदि ये अपने काम को बदलना चाहें तो भी नहीं बदल सकती। बीमारी तथा अन्य किसी विषम परिस्थिति में कोई इन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देता। इस कारण ये हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहती है। यहां तक कि हमेशा उत्पादकों की ऋणी रहती हैं। काम न करने अथवा कम करने पर हमेशा घाटा इन्हें ही होता है। आशय यह है कि हमारे देश में घर के अंदर काम करने वाली महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हैं। जो महिलाएँ घर के अंदर ही पंरपरा से हट कर काम करने लगी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। जैसे ब्यूटी पार्लर, क्रेच, शिशु गृह, विविध शिल्पकलाओं के केंद्र कंप्यूटर या कुंकिग क्लासेज, हॉबीस सेंटर आदि काम घरों में ही होने लगे हैं। जब घर के कामों का स्वरूप बदला है, तो महिलाओं की स्थिति भी बदली है।

घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं की स्थितिः– घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। स्कूलों, दफ्तरों, चिकित्सालयों, प्रयोगशालाओं, संस्थानों से लेकर होटलों, राजनायिक कार्यालयों तक इनका क्षेत्र है। इन महिलाओं को कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त होता है।

eISSN 3049-2610
Research Stream
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 03, Issue 01, March 2026

इनकी सामाजिक एवं परिवारिक स्थिति भी अच्छी होती है घर के बाहर कामकाजी महिलाओं का एक और वर्ग भी है, जो श्रमिक महिलाओं के नाम से देश के विभिन्न कारखानों, उत्पादक संस्थानों में काम करता है। एक गैर सरकारी अनुमान के अनुसार ऐसी श्रमिक महिलाओं की संख्या भी एक लाख साठ हजार के आस पास है। यह लगभग दैनिक मजदूरी (दिहाड़ी) पर काम करती है। घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं की जितनी अचछी स्थिति है उससे कहीं अधिक खराब स्थिति इन श्रमिक महिलाओं की है! दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों के समान ही भारत सरकान ने विदेशी व्यापार निर्यात् को प्रोत्साहन देने के लिए 'निर्यात' प्रोसेसिंग जोन' बनाए है। इन जोनों में जितनी अच्छी फैक्ट्रियां है वहां श्रमिक महिलाएँ काम करती है। इसके अतिरिक्त छोटे शहरों में भी इंडस्ट्रियल एरिया (औद्योगिक) बने हुए हैं, जिनमें महिलाएँ काम करती है। ऐसे निम्न उद्योगों की पहचान की गई है जो बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों को रोजगार देते है और ये सभी खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में आते है–

- माचिस एवं पटाखा निर्माण उद्योग, शिवकाशी (तमिलनाडु)
- डायमंड पॉलिशिंग उद्योग, सूरत (गुजरात)
- काँच और चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद (उ०प्र०)
- पीतल के बर्तन और कलात्मक वस्तुएं उद्योग, मुरादाबाद (उ०प्र०)
- हस्त निर्मित कालीन उद्योग, मिर्जापुर भदोही (उ०प्र०)
- ताला उद्योग, अलीगढ़ (उ०प्र०)
- स्लेट उद्योग, (आंध्र प्रदेश) और मन्दसौर (मध्य प्रदेश)
- कीमती पत्थरों पर पालिश उद्योग जयपुर (राजस्थान)

यदि हम गहराई से विचार करें तो सबसे खराब हालत आर्थिक रूप से इन श्रमिक महिलाओं की है, इन्हें जहां एक हजार रुपये से लेकर तीन–चार हजार रुपये तक मजदूरी मिलती हैं, वही इन्हें गंदे, गर्म और तंग स्थानों पर 10–14 घंटे तक काम करना पड़ता है। इन्हें न तो किसी प्रकार की सुरक्षा मिलती है और न भविष्य के बारे में कोई गारंटी। यहाँ तक की तलाशी के नाम पर इन महिलाओं के साथ जो अपमानजनक व्यवहार होता है, उसके विरूद्ध भी इनकी आवाज को कोई नहीं सुनता। हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ, वे चाहे खेतिहर मजदूर ही क्यों न हों भूमिहीन, अशिक्षित और अप्रशिक्षित होती है इन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से शोषित किया जाता है। कैसी विडम्बना है इस देश की जहाँ महात्मा मनु ने ''मनु स्मृति में कहा था कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् देवगण ऐसे स्थान पर वास करते हैं जहां स्त्रियों का सम्मान होता है। उसी समाज में आज स्त्री की एक स्थिति ऐसी भी है–

''बलवान पुरुष की जननी
खुद अबला कहलाती है।
घर का पालन–पोषण कर
खुद भूखी सो जाती है
नारी के श्रम की गाथा
नारी की मर्म कहानी
नारी के मन की पीड़ा

eISSN 3049-2610
Research Stream
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 03, Issue 01, March 2026

अब तक न किसी ने जानी।''

भगवान और भाग्य के नाम पर ये महिलाएँ अकारण कष्ट भोगती है इनके हितों के लिए बहुत प्रयासों की आवश्यकता है।

श्रमिक महिलाओं की स्थिति – कृषि के साथ–साथ भारतीय समाज के अन्य आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है, जिसने श्रम बाजार की आंतरिक सरंचना को आंदोलित किया है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम श्रममूल्य और श्रमिकों की उपादेयता सिद्ध हो चुकी है। महिलाश्रम मानवीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन होता हैं और आर्थिक संरचना की निर्माण प्रक्रिया प्रस्फुटित होती है। आधुनिक विकास शील राष्ट्रों में मूलतः एशिया के कुछ अविकसित राष्ट्रों में महिला श्रम–शक्ति धीरे–धीरे औद्योगिक विकास के सम्वाहकों में देखी जाने लगी है। फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिला श्रम की सहभागिता इन राष्ट्रों में काफी कम है। भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक परिस्थितियों का निरुपण अथवा सामान्यीकरण करने के लिये आवश्यक है कि संपूर्ण उत्पादन सरंचना में महिला श्रम और उसकी सहभागिता को विवेचित किया जाये। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति कृषि क्षेत्रों में संलग्न है और अधिकांश अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में आती है। परिवार में महिलाओं की भूमिका मां एव पत्नी के रूप में महत्वपूर्ण होती है। पुरुष एवं स्त्री को प्राप्त आर्थिक एवं नैतिक अधिकार के व्यवहारिक स्वरूप परिवार के व्यवस्थापक क्रियाकलापों में प्रकट होते हैं। भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं और बच्चों की निम्न जीवन प्रत्याशा दर समाज के विशेष चरित्र को उजागर करती है। लैगिंक अनुपात में भिन्नता धीरे–धीरे चिकित्सापरक व्यवस्थाओं को दिया जा सकता है। निर्धन परिवारों में महिलाएँ अपनी बीमारी को इसलिए छिपाती रहती हैं जिससे उनको परिवार के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न न हो और दवाओं पर खर्च न हो। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि परिवारों में महिलाओं को औसत खाद्य पदार्थ भी अन्य सदस्यों की तुलना में कम प्राप्त होते है। हमारी सामाजिक परंपराएं भी कामकाजी महिलाओं की राह में किसी रोड़े से कम नहीं है। पुरुष जहाँ काम करके वापस घर लौटते है तो उस पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उसे घर की व्यवस्था नहीं संभालनी पड़ती है लेकिन जब एक श्रमिक महिला पूरे दिन हाड़–तोड़ मेहनत करने के बाद घर लौटती है तो उसे अपनी घरेलू भूमिकाओं को भी निभाना पड़ता है। घर में उसे पत्नी, मां और बहू के कर्तव्य पूरी संजीदगी से निभाने पड़ते है। श्रमिक महिलाएँ अपनी कामयाबी और घरेलू भूमिकाओं का निर्वाहन करते करते कभी–कभी टूटन के कगार तक भी पहुँच जाती है। ऐसे परम्परागत पुरुष प्रधान माहौल में उसके लिए कोई संवेदना नज़र नहीं आती।

स्वाधीनता–प्राप्ति के बाद भारत में स्त्री श्रमिकों को अनेक सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान की कई, संविधान के नीति – निर्देशक तत्वों में औद्योगिक नीतियों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविको पार्जन करने का अधिकार प्राप्त हो तथा दोनों को समाज कार्य के लिए समान वेतन मिले, तथा स्त्री–श्रमिकों का अनुचित शोषण नहीं किया जाए तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। यूनिसेफ द्वारा भी नारी उत्थान तथा उसकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम प्रतिपादित किये जा रहे है और भविष्य में यह आशा भी की जाती है कि वह दिन दूर नहीं जब भारतीय नारी पुरुष के समान स्तर को प्राप्त कर राष्ट्र विकास की मुख्य धारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

eISSN 3049-2610
Research Stream
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 03, Issue 01, March 2026

मेहनत व संघर्ष से प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना रही है, आज वह देवी की तरह अपनी पूजा नहीं करवाना चाहती, वह समाज में अपना स्थान बनाना चाहती है। स्वतंत्रता के 61—62 वर्षों के बाद भी स्त्रियों में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। यद्यपि उनकी स्थिति सुधारने के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी समुचित सुधार की आवश्यकता है। आँकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 5—7 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 40 से 45 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी भी पुरुषों से सुरक्षा व संरक्षण की अपेक्षा करती रही है।

महिलाओं के लिये सुरक्षात्मक प्राविधानों हेतु कुछ प्रमुख अधिनियम

	अधिनियम का नाम	**उद्देश्य**
1.	प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, 1994	गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान कराने पर रोक लगाना।
2.	वेश्यावृत्ति निवारण (संशोधन, अधिनियम, 1986)	महिलाओं को अनैतिक कार्यों में दुरूपयोग करने वालों पर रोक लगाना।
3.	स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986	महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक।
4.	अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979	कुछ विशेष नियोजनों में महिलाओं के अलग शौचालय तथा स्नानागारों की व्यवस्था करना आवश्यक है।
5.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	समान कार्य हेतु महिलाओं को भी पुरुषों के समान पारिश्रमिक का प्राविधान करना।
6.	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम—1976 लौह मैगनीज एवं अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम – 1976 चूना, पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम – 1972 ठेका श्रम अधिनियम, 1970	इन अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त सलाहकार समिति में एक महिला सदस्य की नियुक्त अनिवार्य करना। महिला श्रमिकों से बागानों में प्रातः 6:00 बजे से सांय 7:00 बजे के बीच 4 घण्टे के बाद काम होने पर रोक।
7.	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966	निर्धारित सीमा में महिला कर्मकारों के होने पर उनके बच्चों बच्चों हेतु शिशु सदनों की आवश्यक रूप से व्यवस्था करना।
8.	खान अधिनियम, 1952	भूमिगत खानों में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।
9.	बागान, श्रम अधिनियम 1957	महिला कर्मकारों को अपने बच्चों को दूध पिलाने हेतु आवश्यक रूप से अवकाश दिया जाना।

eISSN 3049-2610

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ की गई है। जिसमें ड्वाकारा योजना, न्यू मॉडल चर्खा योजना, नोराड प्रशिक्षण योजना, महिला समाख्या योजना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम किशोरी बालिका योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष की योजनाएं, मुख्य ऋण योजना, ऋण प्रोत्साहन योजना, स्व सहायता समूह योजना, विपणन वित्तीय योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, इन्द्रिरा महिला योजना, मार्जिन मनी ऋण योजना, ग्रामीण महिला विकास योजना, राज राजेश्वरी बीमा योजना, स्वास्थ्य सत्वी योजना, डबाकुआ योजना, महिला स्वशक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना, स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना, स्वयं सिद्ध योजना, स्वाधार योजना आदि। भारत में इस समय मौजूद करीब 28 लाख 35 हजार स्वयं सहायता समूहों में से लगभग 82.14 प्रतिशत समूह महिलाओं से ही सम्बन्धित है, वो सराहनीय है।

निष्कर्ष – महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिये आवश्यक है कि उनका चहुँमुखी विकास किया जाए। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़ाया जाए। इसके लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। पुरुषों की रूढ़िगत सोच में बदलाव लाना होगा। महिला थानों को खोला जाए उसमें महिलाएँ अपने ऊपर होने वाली आपराधिक कार्यवाही के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाकर न्याय की मांग कर सके।

नारी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उसे समाज में सम्मानित व भयमुक्त तथा शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने के लिये आवश्यकता एक ऐसे स्त्री–उन्मुख राष्ट्रीय कार्यक्रम की है जिसके अंतर्गत सही अर्थों में नारी के प्रगति के प्रयास है। हमें नारी के लिये उसकी समस्याओं और पीड़ाओं से संदर्भित शिक्षा–व्यवस्था तैयार करनी होगी, उसके लिये घर, खेत, सड़क, खदान व कारखानों में उचित मजदूरी का पाठ्यक्रम, देह–शोषण के विरूद्ध पाठ्यक्रम सामाजिक निरंकुशता के प्रतिरोध का पाठ्यक्रम बनाना होगा। आज नारी को संघर्ष की साक्षरता की आवश्यकता है। उसे स्वाभिमान वर्णमाला की आवश्यकता है उसे आत्मबल एवं साहस की शब्दावली की आवश्यकता है, तभी वह समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकती है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न विकसित भारत @2047 देश को बदलने की पहल में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती है। साथ ही वह अपने लिये समाज में एक सम्मानीय स्थान बना सकती है और राष्ट्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकती हैं।

संदर्भ सूची–

1. कामकाजी महिलाएँ : समस्याएं एवं समाधान शीला सलूजा पृ० सं० – 14

2. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक पत्रिका

3. समाज राजनीति और महिलाएँ, दशा औपदेशा, लेखिका स्वप्निल सारस्वत निशांतसिंह – वर्ष 2007 पृ०सं०–66।

4. प्रकाशनारायण नाटाणी, महिला जाग्रति और कानून, आविष्कार पब्लिशर्स व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर (2002)

5. प्रज्ञा शर्मा, महिला विकास और सशक्तिकरण, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर (2001) पृ० 49–50।

eISSN 3049-2610

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

6. सुधारानी श्रीवास्तव महिलाओं के प्रति अपराध कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स (1999) नई दिल्ली।

7. कुरूक्षेत्र पत्रिका।

8. डॉ० आर० पी० तिवारी एवं डॉ० पी० शुक्ला भारतीय नारी वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान, ए०पी०एच०पी० 5 अंसारी रोड़ दरिया गंज (1999) पृष्ट (45–46)

9. योजना पत्रिका।